अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

फ.सं./No.F. 2-19/2019- स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)/Estt. (RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029 Ansari Nagar, New Delhi-110029 दि<u>नां</u>क/Dated

कार्यीलय आदेश/OFFICE ORDER

विषय:- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में वित्त एवम मुख्य लेखा अधिकारिके पद पर पदोन्नित।
Subject:- Promotion to the post of Finance and Chief Accounts Officer at the AIIMS,
New Delhi.

दिनांक 05.09.2020 को वित्त एवम मुख्य लेखा अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणा<u>मस्</u>वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत मिस. राकेश शर्मा (नी कुमारी), लेखा अधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वित्त एवम मुख्य लेखा अधिकारी वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -11 पर पदोन्नित किया जाता है। उनकी वरिष्ठता वित्त एवम मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नित समिति की मीटिंग की तिथि अर्थात 05.09.2020 से प्रभावी होगी।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of Finance and Chief Accounts Officer held on 05.09.2020 and its acceptance by the Competent Authority, Ms. Rakesh Sharma (nee Kumari), Accounts Officer is promoted to the post of Finance and Chief Accounts Officer of Level-11 in the pay matrix from the date she assumes the charge of the post of Finance and Chief Accounts Officer. Her seniority in the post of Finance and Chief Accounts Officer will be effective from the date of meeting of Departmental Promotion Committee i.e. 05.09.2020.

वह वित्त एवम मुख्य लेखा अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई.,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगी।

She will be entitled to allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date she assumes the charge to the post of Finance and Chief Accounts Officer.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली क्तेनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हें आंशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्निति प्रदान नहीं किया गया।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1) either from the date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided she has not been granted financial up gradation under ACP/MACP Scheme.

Contd...2...

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

वित्त एवम मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नित की सिफ़ारिश एस.एल.पी. (C) No. 3062T/20T और 31288/2017 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील (C) No. 28306/2017 या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. द्वारा कोई अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Finance and Chief Accounts Officer is subject to outcome of the SLP (C) No. 30621/2011 and 31288/2017, connected to appeal (C) No. 28306/2017 in the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

(आर. संतोष कुमार FR. Santhosh Kumar)

प्रशासनिक अधिकारी/ ADMINISTRATIVE OFFICER

मिस. राकेश शर्मा (नी कुमारी)/ Ms. Rakesh Sharma (nee Kumari) लेखा अधिकारी / Accounts Officer दवारा/Thr.:- वित्तीय सलाहाकार/ Financial Advisor

प्रतिलिपिः

- 1. वरिष्ठ वित्तीय सलाहाकार/ Sr. Financial Advisor
- 2. स्थापना अनुभाग (डी.ओ) Establishment Section, (DO)
- 3. लेखा <u>वि</u>भाग II/III /Accounts Section, II/III
- 4. जी.पी.एफ./संपदा विभाग/ ए.सी.आर सेल /GPF Section/ Estate Section/ ACR Cell
- 5. सतर्कता विभाग/लीगल सेल/ Vigilance Cell/Legal Ce
- 6. प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें। Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website
- डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबधित सहायक Dealing Assistant, Recruitment Cell

